दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

गिरदावरी की जांच में पहुंचे कलेक्टर

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार विगत दिनों गिरदावरी जांच के लिए ग्राम अमलीभौना पहुँचे। उन्होंने खसरा रिकॉर्ड की जांच कर मौके पर फसल लगा है कि नही इसकी गहन जांच की। उन्होंने इस संबंध में संबंधितों से भू-अर्जन, रिकॉर्ड दुरुस्ती, नामांतरण आदि के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर आर.ए. कुरुवंशी, तहसीलदार श्रीमती शिवानी जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लाईवलीहुड कॉलेज में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। रोजगार की आशा रखने वाले युवाओं हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किसी वरदान से कम नहीं। इस योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में होटल मैनेजमेंट कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके है। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 10 वीं कक्षा एवं आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगी। प्रशिक्षण अवधि में भोजन और आवास एवं यूनीफार्म की भी सुविधा निःशुल्क दी जायेगी। जिसके उपरांत प्रशिणार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जायेगा। इच्छुक युवक-युवतियां रोजगार कार्यालय रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकतें हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ या टोल फ्री नं 18002331133 से संपर्क कर सकतें है।

घर छोड़कर वृन्दावन गई बालिग लड़कियों का रायगढ़ वापस आने से इंकार

मथुरा, उत्तरप्रदेश पुलिस व पिता के समक्ष कथन में बोली बालिग हैं यहीं रहना चाहती हैं

न्याय साक्षी/रायगढ़। तीन युवतियां के घर से कहीं चले जाने के संबंध में थाना भूपदेवपुर में दर्ज गुम इंसान पतासाजी में गुम युवतियों के परिजनों को साथ लेकर मथुरा (उ0प्र0) गई थाना भूपदेवपुर की पुलिस टीम को युवतियों मथुरा, उत्तर प्रदेश पुलिस व परिजनों के समक्ष स्वयं को बालिग बताते हुए अपने पिता के साथ घर आने से इंकार कर दिये।

जानकारी के अनुसार थाना भूपदेवपुर क्षेत्र के ग्राम डोंगाढकेल निवासी खेमकुमार साहू उम्र 48 साल एवं गजानंद साहू उम्र 48 साल द्वारा दिनांक 15-09-2018 को लिखित आवेदन देकर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराये कि प्रार्थी खेमकुमार साहू की पुत्री मनीषा साहू उम्र 25 वर्ष एवं ताक्षी साहू उम्र 22 वर्ष तथा प्रार्थी गजानंद साहू की पुत्री कुमारी रमेश साहू उम्र 23 वर्ष दिनांक 10-09-2019 के शाम करीब 07:00 बजे घर से कहीं चले गये हैं। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में गुम इंसान क्रमांक 11, 12/19 दर्ज कर जांच में लिया गया। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा गुम इंसानों के वारिशानों एवं जान-परिचितों से पूछताछ कर पतासाजी की जा रही थी कि गुम इंसान मनीषा साहू के भाई सतीश साहू के मोबाईल पर महिला थाना मथुरा जनपद मथुरा से यूपी पुलिस ने फोनकर बताये कि तीनों गुम इंसान युवतियों को थाना में बिठाया गया है। तब पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर दिनांक 19.09.19 को थाना भूपदेवपुर से प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार दुबे के हमराह आरक्षक राजकुमार ध्रुवे एवं महिला आरक्षक कलिस्ता कुजूर की टीम बनाकर गुम युवतियों के परिजनों के साथ मथुरा (उ0प्र0) भेजा गया। रायगढ़ पुलिस टीम महिला थाना मथुरा पहुंची। महिला थाना मथुरा के प्रभारी ने रायगढ़ पुलिस को बताया कि तीनों गुम युवतियों द्वारा स्वयं महिला थाना आकर आवेदन दिया गया कि तीनों बालिग हैं, परिजनों द्वारा थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ़ में गुम इंसान दर्ज कराया गया। हम बालिग हैं भक्तिभाव करते हुए वृन्दावन, मथुरा, इलाहाबाद कहीं भी अपना जीवन यापन कर लेंगे पर वापस रायगढ़ नहीं जाना चाहते। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा महिला थाना मथुरा में गुम युवतियों के परिजनों एवं मथुरा, उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष कथन लिया गया जिसमें तीनों युवतियों ने बताया कि मथुरा में किराये मकान में रहते हैं। तीनों ने स्वयं को बालिग होना बताते हुये अपनी इच्छा से मथुरा आना बताये। युवतियों ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व से परिजनों की जानकारी में वृन्दावन आनंदम धाम आश्रम आते जाते रहें है। हमारे गांव के भी कई लोग आश्रम में आते-जाते रहतें है, इन सब की जानकारी हमारे परिजनों को है। हम सभी आश्रम के लोगों से निरंतर मोबाईल पर बातचीत करते थे। कृष्ण भक्ति ही हमें प्रिय है, हम वृन्दावन मथुरा, अयोध्या, बनारस, कांशी में कहीं भी रहकर ठाकुर (ईश्वर) की भक्ति कर अपना जीवन यापन कर सकतें हैं। गुम युवतियों ने यह भी बताया कि पिताजी (खेम कुमार साहू) भविष्य में हमें और आश्रम में रहने वालों को झूठे मामले में फंसा सकता है। गुम युवतियों ने इस संबंध में स्टाम्प पेपर में भी शपथपूर्वक कथन दिया गया है।

रिपोर्टकर्ता खेम कुमार साहू एवं गजानंद साहू से पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम डोंगाढकेल में तीन वर्ष पूर्व रितेश्वर जी महाराज वृन्दावन उत्तर प्रदेश आये थे और खेमकुमार साहू के घर पर ही आनंदम धाम की स्थापना किये थे। गांव तथा आसपास के लोग अनंदम धाम से जुडे हुये हैं। गांव के लोग आनंदम धाम वृन्दावन मथुरा आते जाते रहते हैं। 01 वर्ष पूर्व भी दोनों लड्किंयां मनीषा, ताक्षी और गांव की कु0 रमेश आश्रम गई थी। तब लकड्कियों को बनारस से वापस घर रायगढ़ लाये थे।

दोनों रिपोर्टकर्ताओं को उनके बालिग पुत्रियों के स्वेच्छा से वृन्दावन आश्रम जाने की जानकारी थी। इसके बावजूद दोनों ने गुम इंसान रिपोर्ट थाना भूपदेवपुर में दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता खेम कुमार साहू तथा उसकी दोनों पुत्री ताक्षी एवं मनीषा साहू (गुम इंसान) के बीच आपसी मनमुटाव होने से एक-दुसरे के विरूद्ध फेसबुक एवं विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से भ्रमक प्रचार करने लगे।

भूपदेवपुर पुलिस द्वारा गुम इंसान की जांच को गंभीरता से लेकर रिपोर्ट के तत्काल बाद गुम इंसानों की पतासाजी में जुट गई, परिजनों एवं गांववालों से पूछताछ कर गुम युवतियों से सम्पर्क किया जा रहा था। तभी गुम युवतियों को महिला थाना मथुरा (उ.प्र.) में होने की जानकारी मिलने पर भूपदेवपुर पुलिस परिजनों को लेकर महिला थाना मथुरा पहुंचे तथा विधिवत कार्यवाही करते हुये मथुरा, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं परिजनों के समक्ष बालिग युवतियों का कथन लेखबद्ध कर गुम इंसानों को उनके परिजनों के समक्ष दस्तयाब किया गया है।

अवैध शराब तस्करी करते 6 वाहन जप्त

» आबकारी धाराओं के तहत की गई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री और परिवहन तस्करी के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई। इसमें 6 वाहनों को अवैध शराब तस्करी करते पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जूटमिल मिटठूमिड़ा में दुर्गा चौक के पास नाकाबंदी में एक्टिवा से दो कार्टूनों में शराब लेकर आते हुए भूपेन्द्र सिंह पिता बसन सिंह पता जगतपुर रामभाठा रायगढ़ को पकड़ा गया। कार्टूनों में 12 बोतल बीयर और 48 पाव व्हिस्की बरामद की गई। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के पास तिराह में पुलिस चेकिंग में आटोरिक्शा में उड़ीसा की अंग्रेजी शराब लाते ड्राइवर मो. सम्मी पिता मो. मोईनुद्दीन पता बाजीराव महरापारा रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आटो से दो प्लास्टिक थैला में 35 बोतल बीयर जप्त की गई।

सरिया क्षेत्र में छोटे आमाकोनी गांव में मोटर सायकल में जूट की बोरी में रखकर 60 लीटर शराब लाते हुए आरोपी पोतराम निराला पिता टेंगनु निराला को पकड़ा गया। गोबरसिंघा के रामचन्द्र बरेठ पिता रत्थू बरेठ को मोटर सायकल में एक सन बोरी के अंदर दो प्लास्टिक थैलों में 30 और 20 कुल 50 लीटर शराब लाते हुए भकुर्रा बडे आमाकोनी सड़क पर पाया गया। झलमला टोल प्लाजा बेरियल के पास आरोपी निताई गुप्ता पिता उद्धव गुप्ता पता मिडमिडा को स्कूटी के पैरदान में जेरिकेन में रखकर 20 लीटर शराब लाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के एकताल के आगे रेल्वे ओवर ब्रिज के पास अभियुक्त सरोज चौहान पिता गोकुल प्रसाद चौहान पता कोसमपाली को मोटर सायकल से एक बास के गरना में दो प्लास्टिक जेरिकेन में 10-10 लीटर और एक प्लास्टिक पन्नी में 20 लीटर शराब तस्करी कर लाते पाया गया।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन से शराब तस्करी पाये जाने पर आबकारी

धारा 34(2), 59(क) के तहत् आरोपी के विरूद्ध प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के न्यायालय में और वाहन को राजसात करने आबकारी धारा 47 के तहत् प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाता है। वाहन का निराकरण आबकारी विभाग के माध्यम से किया जाता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धांतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480